

निर्वाचन संचालन नियम 1961
(सांविधिक नियम व आदेश)

{नियम 64}

प्ररूप 21-ग

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

48-द्वाराहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मदन सिंह बिष्ट , ग्राम-कनलगाँव ,पो-बग्वालीपोखर ,तहसील - द्वाराहाट ,जिला-अल्मोडा ,
पिन- 263621 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में
स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान: अल्मोड़ा

दिनांक: 10 मार्च 2022



Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **48-Dwarahat** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

MADAN SINGH BISHT

vill-kanalgaon, post-bagwalipokhar, tehsil-dwarahat, distt-almora, pin-263621
[sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Almora*

Date : 10-03-2022

(Shri Jaywardhan Sharma)
Returning Officer
048-Dwarahat
Legislative Assembly Constituency